IJAER/July-August 2016/Volume -5/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारतीय समाज मे दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति

डॉ. हरिचरण मीना
व्याख्याता
समाजशास्त्र विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सवाईमाधोपुर

सारांशः—

भारतीय समाज मे दहेज सदियों से चली आ रही हैं। दहेज प्रथा महिलाओं के शोषण का प्रतीक रही हैं जो कि सदियो से चली आ रही सामाजिक कुरीतियों में से एक हैं और आज भी बदस्तूर जारी हैं। दहेज प्रथा के इतिहास का विभिन्न युगों मे विश्लेषण करने पर ज्ञात होता हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक दहेज के ढांचे मे परिवर्तन आये हैं। पूर्व वैदिक काल के विवाह संस्कारो के बारे मे अधिक अधिकृत जानकारी नही मिलती हैं। अथर्ववेद एवं ऋग्वेद के विवाह स्रोतो से जानकारी प्राप्त होती हैं। उक्त जानकारी के अनुसार वधू सुन्दर वस्त्रों से सज धज कर, नेत्रो, सिर आदि का श्रृंगार कर अपने होने वाले पति के साथ प्रस्थान करती थी। उसके साथ उसका दहेज रूपये, पैसे, गहने के रूप मे बक्से में रखा जाता था। अथर्ववेद मे इस प्रकार का प्रसंग भी मिलता हैं कि राजघरानों की वधूएं अपने साथ दहेज मे 100 गाये भी लाती थी। अथर्ववेद मे एक सन्दर्भ यह भी मिलता हैं कि राजा को श्राप दिया गया था कि उसकी रानी उसके लिए कोई दहेज नही लायेगी। एक स्मृति मे यह भी कहा गया हैं कि सौदेबाजी के आधार पर किया गया विवाह पषु विवाह हैं। लेकिन इसमें स्पष्ट नही हैं कि कौन सा पक्ष धन वसूल करता था । द्रोपदी, सीता,सुभद्रा, उतरा सभी को विवाह के समय उनके माता पिता द्वारा मूल्यवान उपहार , घौड़े, हाथी और जवाहरात के रूप दहेज दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि दहेज प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही हैं। वर्तमान मे दहेज के कारण वैवाहिक सम्बंधों मे दरार देखी जा सकती हैं। कही बार दहेज के कारण वधू को प्रताड़ित करने की घटनाए भी देखने को मिलती हैं।

कठिन षब्दावलीः— दहेज प्रथा, डायजा, कुरीतियां, वैदिक काल,

प्रस्तावनाः—

भारतीय समाज मे दहेज प्रथा का प्रचलन हमेशा रहा हैं। दहेज की समस्या का मूल्यांकन आज इसलिए महत्वपूर्ण व सामयिक नही हैं कि नवविवाहिताओ को जलाने की मामले तेजी से बढ रहे है, बल्कि इसलिए भी कि बड़ी संख्या मे लड़कियॉ विवाह की आयु पार करने के उपरान्त भी माता पिता द्वारा दहेज देने मे असमर्थ होने के कारण अविवाहित रह जाती हैं। प्रस्तुत आलेख भारतीय सामाजिक जीवन मे व्याप्त इस

सामाजिक कुरीति के कतिपय आयामो को प्रकाषित करने का एक प्रयास कर रहा हैं। दहेज प्रथा महिलाओं के शोषण का प्रतीक रही हैं जो कि सदियो से चली आ रही सामाजिक कुरीतियों में से एक हैं और आज भी बदस्तूर जारी हैं। दहेज प्रथा के इतिहास का विभिन्न युगों मे विश्लेषण करने पर ज्ञात होता हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक दहेज के ढांचे मे परिवर्तन आये हैं। पूर्व वैदिक काल के विवाह संस्कारो के बारे मे अधिक अधिकृत जानकारी नही मिलती हैं। अथर्ववेद एवं ऋग्वेद के विवाह स्रोतो से जानकारी प्राप्त होती हैं। उक्त जानकारी के अनुसार वधू सुन्दर वस्त्रों से सज धज कर, नेत्रो, सिर आदि का श्रृंगार कर अपने होने वाले पति के साथ प्रस्थान करती थी। उसके साथ उसका दहेज रूपये, पैसे, गहने के रूप मे बक्से में रखा जाता था। अथर्ववेद मे इस प्रकार का प्रसंग भी मिलता हैं कि राजघरानों की वधूएं अपने साथ दहेज मे 100 गाये भी लाती थी। अथर्ववेद मे एक सन्दर्भ यह भी मिलता हैं कि राजा को श्राप दिया गया था कि उसकी रानी उसके लिए कोई दहेज नही लायेगी। एक स्मृति मे यह भी कहा गया हैं कि सौदेबाजी के आधार पर किया गया विवाह पषु विवाह हैं। लेकिन इसमें स्पष्ट नही हैं कि कौन सा पक्ष धन वसूल करता था । द्रोपदी, सीता,सुभद्रा, उतरा सभी को विवाह के समय उनके माता पिता द्वारा मूल्यवान उपहार , घौड़े, हाथी और जवाहरात के रूप दहेज दिया गया था। जातक कथाओं मे भी उल्लेख हैं कि किस प्रकार मूल्यवान उपहार विवह के समय वर को दिए जाते थे। तुलसीदास के रामचरितमानस के पाठ मे भी यह संकेत मिलते हैं कि दहेज प्रथा प्रचलित थी।

वर्तमान सन्दर्भ मे इतना स्पष्ट है कि जो उपहार दिये जाते थे वे दहेज समझे जाते थे लेकिन उस समय यह उपहार ऐच्छिक रूप से स्नेहवष दिये जाते थे । दहेज कन्यादान संस्कार का एक हिस्सा होता था जो कि आज के दहेज से बिल्कुल भिन्न होता था।दहेज प्रथा जैसी आज प्रचलन मे है वैसी अतीत मे नही थी। उस समय केवल राज परिवारो एवं कुलीन परिवारों मे ही विवाह के समय वर को उपहार दिये जाते थे।

साधारण अर्थ मे दहेज से अभिप्राय उस धन , उपहार एवं वस्तुओ से है जो वधू विवाह के समय अपने वर के लिए लाती हैं। मैक्स रेडिन ने कहा हैं कि वह सम्पति जो व्यक्ति विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके रिष्तेदारो से प्राप्त करता हैं। दहेज की धनराषि लड़के की नौकरी व आमदनी, परिवार की प्रतिष्ठा, वर वधू की षिक्षा, लड़की की नौकरी, ष्षारीरिक गठन, सौन्दर्य, वधू पक्ष के परिवार की संरचना, सुखद भविष्य इत्यादि कारको को ध्यान मे रखकर निर्धारित की जाती हैं। दहेज मे एक महत्वपूर्ण बात यह हैं कि कन्या के माता पिता न केवल विवाह के समय पति को रूपये और उपहार देते है बल्कि जीवनभर देते रहते हैं। मैकिम मेरियट का मानना हैं कि इसके पिदे भावना यह हैं कि व्यक्ति की पुत्री या बहन दूसरे नातेदारी समूह की असहाय सम्पति बन कर रह जाती हैं। अतः उसके ससुराल वाले उसे सुखी रखे इस उदे य से कन्या के माता पिता वर पक्ष के लोगो को समय समय पर खुब आवभगत करते हैं।

प्रत्येक माता पिता चाहता है कि उसकी बेटी का विवाह धनी एवं साधन सम्पन्न परिवार मे करे ताकि उसकी इज्जत बनी रहे, इज्जत बढे और उसकी बेटी को सुख सुविधाए व मान सम्मान मिले। धनी एवं उच्च परिवार के लड़को की विवाह बाजार में कीमते भी उच्च है जिसके कारण दहेज की राषि भी उच्च हो रही है। कुछ लोग तो समाज मे अपनी षान व सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करने के लिए ही अधिक से अधिक दहेज लेते हैं। वर के माता पिता द्वारा दहेज स्वीकार करने का एक कारण यह भी हैं कि

उसे भी अपनी बेटियों के विवाह मे दहेज देना हैं। स्वाभाविक है कि वह अपने बेटे के विवाह मे दहेज मे प्राप्त धनराषि से अपनी बेटियो के लिए योग्य वर ढूढने और उन्हे प्रसन्न करने मे काम लेते है। यही से दहेज के दुष्चक्र प्रारम्भ होता है और दहेज की राषि कलंकित अभिषाप का रूप धारण करती हैं। अतीत मे दहेज हो सकता हितकारी रहा होगा किन्तु आजकल तो यह भारतीय सामाजिक जीवन पर एक कलंक, एक दाग बन कर रह गया हैं। एक समय था जब दहेज वर पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता था परन्तु अब दहेज मांगा जाने लगा हैं। परिणाम यह है कि कन्या के जन्म से ही दहेज की समस्या उसके माता पिता के मस्तिष्क मे घर कर जाती हैं और यदि दुर्भाग्यवष उस व्यक्ति के तीन चार बेटियॉ है तो उसका सारा जीवन इस समस्या के समाधान मे व्यतीत हो जाता है ि कवह अपनी बेटियो का विवाह कैसे दहेज की व्यवस्था करेगा। इससे उसकी मानसिक परेषानी एवं भावात्मक व सामाजिक कुसमंजन बढता हैं।

दहेज प्रथा देने वालो को अधिक दीन तथा लेने वालो को हीन बनाती है और स्त्रियों की सामाजिक प्रस्थिति को बहुत गिराती हैं। दहेज लेने वाला लड़का स्वयं को बड़ा सम्मानित व्यक्ति समझता है और लड़की को हीन व निम्न स्तर की वस्तु समझता हैं। विवाह मे दहेज के रूप अच्छी राषि मिलने के कारण कई बार लड़को के मन मे दूसरे व तीसरे विवाह करने के खयाल भी स्वाभाविक रूप से आने लग जाते हैं। यद्यपि ऐसे विवाह सामान्य नही हैं फिर हैं। इससे प्रथम पत्नी के रूप मे स्त्री की प्रस्थिति प्रभावित होती है। क्योकि पति को जो उसके लिए प्रेम, चाह, सदभावना, स्नेह व देखरेख की चिन्ता रहती हैं वह कम हो जाती हैं। जब लड़की षिक्षित है, नौकरी कर रही है फिर किस लिए लड़के वाले दहेज की मांग करते हैं। लड़की लड़के के समान रूप से अच्छी हैं बल्कि श्रेष्ठ हैं क्योकि वह दूसरी भूमिका निभाती है, गृहस्थी भी देखती है और धनोपार्जन का कार्य भी करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि दहेज एक सामाजिक अन्याय है। यह भारतीय समाज के लिए षर्मनाक है, समाज पर कलंक हैं। यह महिलाओं के आत्म सम्मान पर कुठाराघात हैं।

उम्मीद एवं आकांक्षाओ के अनुरूप दहेज नही मिलने पर बहू व वधू जलाने के मामले सम्पूर्ण देष मे बढते जा रहे है।दहेज की रकम मे कुछ बची रकम अदा नही किये जाने के कारण लड़कियो की हत्याए होती हैं, उनका एक अनुमान एक वर्ष मे लगभग 5000 माना जा सकता है। यह संख्या 1987 मे 1912, 1990 मे 4148 और 1991 मे 5157 दर्ज की गई है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करे तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2014 तक कुल 24771 दहेज सम्बंधी मौते देष मे हुई हैं। जो कि भारत मे दहेज प्रताड़ना के मामलो मे रजिस्टर किये गए हैं।

आकड़े यह दर्षाते है कि उत्तर भारत इस समस्या से ज्यादा ही पीड़ित है। वस्तुतः दहेज प्रथा उनके लिये हानिकारक रही है जो इसका षिकार हो कर मृत्यू को प्राप्त हुई बल्कि उनके लिए भी है जो जीवित है लेकिन उन्हे खुद के जीवन से सम्बंधित फैसले लेने का अधिकार नही होता। दहेज का अभी तक का स्वरूप कहीं न कहीं समाज की भ्रांतियो का परिणाम मालूम पड़ता है जिनमे विवाह को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती हैं। भारत मे दहेज प्रथा के उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम सन 1961 मे दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा लड़के या लड़की के विवाह की स्वीकृति के रूप मे किसी भी प्रकार का दहेज लेने व देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दहेज के लेन देन पर ही 5 साल की कैद और

15000 रूपये जुर्माना का प्रावधान है। दहेज की मांग करना भी दण्डनीय अपराध हैं इसके लिये 6 माह से 2 साल तक सजा हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त 10000 रूपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अब प्रष्न यह उठता है कि आखिर इन कानूनो के बाद भी दहेज प्रथा बंद क्यो नही हो रही हैं। इसका कारण है कि जिस एक सामाजिक चेतना का उदय इस समस्या के खिलाफ होना चाहिये वो नही हा पा रहा है। अतः भारतीय समाज के लिए अब उपयुक्त समय है कि दहेज प्रथा की बुराई को समूल नष्ट कर दिया जाये जिसने अनेक युवतियो को आत्महत्या तक करने करने के लिये बाध्य किया है। यह नही भूलना चाहिए कि विवाह एक पवित्र संस्कार है न कि व्यापार का सौदा। जितना जल्दी हम इस सामाजिक बुराई से छुटकारा प्राप्त कर ले हमारे समाज के लिए उतना ही हितकारी होगा।

निष्कर्षः– उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि दहेज का प्रचलन आदिकाल से रहा है।भारतीय समाज मे दहेज प्रथा का प्रचलन हमेषा रहा हैं। दहेज की समस्या का मूल्यांकन आज इसलिए महत्वपूर्ण व सामयिक नही हैं कि नवविवाहिताओ को जलाने की मामले तेजी से बढ रहे है, बल्कि इसलिए भी कि बड़ी संख्या मे लड़कियॉ विवाह की आयु पार करने के उपरान्त भी माता पिता द्वारा दहेज देने मे असमर्थ होने के कारण अविवाहित रह जाती हैं। प्रस्तुत आलेख भारतीय सामाजिक जीवन मे व्याप्त इस सामाजिक कुरीति के कतिपय आयामो को प्रकाषित करने का एक प्रयास कर रहा हैं। दहेज प्रथा महिलाओं के ष्षोषण का प्रतीक रही हैं जो कि सदियो से चली आ रही सामाजिक कुरीतियों में से एक हैं और आज भी बदस्तूर जारी हैं। आखिर इन कानूनो के बाद भी दहेज प्रथा बंद क्यो नही हो रही हैं। इसका कारण है कि जिस एक सामाजिक चेतना का उदय इस समस्या के खिलाफ होना चाहिये वो नही हा पा रहा है। अतः भारतीय समाज के लिए अब उपयुक्त समय है कि दहेज प्रथा की बुराई को समूल नष्ट कर दिया जाये जिसने अनेक युवतियो को आत्महत्या तक करने करने के लिये बाध्य किया है। यह नही भूलना चाहिए कि विवाह एक पवित्र संस्कार है न कि व्यापार का सौदा। जितना जल्दी हम इस सामाजिक बुराई से छुटकारा प्राप्त कर ले हमारे समाज के लिए उतना ही हितकारी होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. आहुजा,राम ''भारतीय सामाजिक व्यवस्था'' रावत पब्लिकेषन जयपुर 1999 पृ.सं.175–179

2. अग्रवाल,डॉ.जी.के.''समाजषास्त्र'' एस.बी.पी.डी.पब्लिषिंग हाउस आगरा 2014 पृ.सं. 76–79

3. श्रीनिवास,प्रो.एम.एन.,''सम रेफलेक्सन्स ऑन डॉवरी'' ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली 1989 पृ.सं. 96–101

4. राजारमन, इन्दिरा ''इकोनोमिक्स ऑफ ब्राइड–प्राइस एण्ड डॉवरी'' इन इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली,वोल्यूम ग्टप्प्;8द्ध , 1983 पृ.सं. 277

5. श्रीनिवास,प्रो.एम.एन.,''सम रेफलेक्सन्स ऑन डॉवरी'' ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली 1989 पृ.सं. 121–123